प्रेस प्रकाशनी

जून 2009

जयबीर इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

05 जून 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जयबीर इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेन्सियल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नंबर डी-10, दूसरी मंज़िल, देवता प्लाझा, 131, रेसिडेन्सी रोड, बंगलूर-560025 है,को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 5 मई 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

पूर्ण प्रज्ञा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

12 जून 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए पूर्ण प्रज्ञा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नंबर 966, पहली मंज़िल, 10वां ए क्रॉस, महालक्ष्मीपुरम, बंगलूर-560086 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 18 मई 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का

विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

12 जून 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनके पंजीकृत कार्यालय का पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	निरस्त करने की तारीख
1.	मेसर्स पीयूष फिनहोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	ई-4, दूसरी मंज़िल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024	05 मई 2009 (स्वेच्छा से हटना)
2.	मेसर्स मैरिल इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	एस-17/18, चाणक्य प्लेस, सी-1 जनकपुरी के सामने, नई दिल्ली-110059	11 मई 2009
3.	मेसर्स एस.आइ.एस. फिनलीज (इंडिया) लिमिटेड	100 ए, साइकल मार्केट, झंडेवाला एक्सटेन्शन, नई दिल्ली-110055	11 मई 2009
4.	मेसर्स खण्डेलवाल सिक्यूरिटीज लिमिटेड	116, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001	18 मई 2009 (स्वेच्छा से हटना)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

डीएसपी मेरिल लिंच सिक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग लिमिटेड द्वारा प्राथमिक व्यापारी प्राधिकार का अभ्यर्पण

19 जून 2009

डीएसपी मेरिल लिंच सिक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग लिमिटेड 22 जून 2009 से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार नहीं करेगी।

बैंक ऑफ अमरीका, एन.ए. की मूल कंपनी बैंक ऑफ अमरीका कार्पोरेशन तथा मेरिल लिंच एण्ड कंपनी, आइएनसी, के बीच विलय के लिए करार के अनुपालन में डीएसपी मेरिल लिंच सिक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग लिमिटेड बैंक ऑफ अमरीका कार्पोरेशन की एक सहायक कंपनी हो गई है। अत: डीएसपी मेरिल लिंच सिक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग लिमिटेड ने स्वीकृत किए गए प्राथमिक व्यापारी प्राधिकार को अभ्यर्पित करने का निर्णय लिया है। तथापि, बैंक ऑफ अमरीका, एन.ए. एक विभागीय गतिविधि के रूप में प्राथमिक व्यापारी कारोबार करना जारी रखेगा।

रिज़र्व बैंक ने दि अकोट अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., अकोट, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

22 जून 2009

दि अकोट अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., अकोट, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण

जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 जून 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

रिजर्व बैंक ने 10 मई 1994 को बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया। 31 मार्च 2008 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के कई प्रावधानों का बैंक अनुपालन नहीं कर रहा है तथा बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के कई दिशानिर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन किया है।बैंक की पूंजी और आरक्षित निधि का विनिमेय मूल्य (निवल संपत्ति) ऋणात्मक हो गया था। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत और अधिक देयता से बैंक को रोकने के लिए 01 जनवरी 2009 के आदेश द्वारा बैंक को निदेश जारी किए गए थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 13 जनवरी 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह पूछा गया था कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत 10 मई 1994 को उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा भेजे गए उत्तर की जांच की गयी तथा उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया।

बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधि का विनिमेय मूल्य ऋणात्मक होने तथा अर्थक्षम कार्य योजना को अभाव में बैंक को पुनर्जीवित किए जाने की कोई आशा नहीं थी, अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक को पुनर्जीवित करने के सभी विकल्पों की जांच करने के बाद उसका लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से दि अकोट अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., अकोट, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को डीआइसीजीसी अधिनियम के अनुसार बीमाकृत राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि अकोट अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., अकोट**,** महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री श्रीधर बेहरा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : ऐडिशनल ऑफिस बिल्डिंग, ईस्ट हाई कोर्ट रोड, पोस्ट बॉक्स 118, नागपुर 440 001। टेलीफोन नंबर : (0712) 2538696; फैक्स नंबर : (0712) 2552896; ई-मेल.

बेंचमार्क मूल उधार दर पर कार्यकारी दल

22 जून 2009

21 अप्रैल 2009 को जारी वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 जून 2009 को बीपीएलआर पर एक कार्यदल का गठन किया और 19 जून 2009 तक कार्यकारी दल के संदर्भ के

प्रस्तावित विषयों पर अभिमत और सुझाव आमंत्रित किए।

तदनुसार, 11 जून 2009 की भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी के प्रतिसाद में प्राप्त अभिमतों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी दल के संदर्भ के विषयों को अंतिम रूप दिया गया जो निम्नानुसार हैं :

i) बीपीएलआर की अवधारणा और उसके परिकलन की प्रक्रिया की समीक्षा करना;

ii) सब-बीपीएलआर उधार का दायरा और उसके कारणों की जाँच करना;

iii) प्रमुख बैंकों के बीपीएलआर में व्यापक भिन्नता की जाँच करना;

iv) अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रणालियों पर आधारित बैंकों की उचित ऋण मूल्यन प्रणाली का सुझाव देना;

v) 2 लाख रुपए तक के छोटे ऋणों और निर्यातकों के लिए नियंत्रित उधार दरों की समीक्षा करना;

vi) खुदरा क्षेत्र में अस्थायी दर ऋणों के लिए उचित बेंचमार्क का सुझाव देना; और

vii) बैंकों की उधार दरों से संबंधित अन्य किसी मामले पर विचार करना।

यह उल्लेख किया गया था कि श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक इस दल के अध्यक्ष होंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विभाग, भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड तथा सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंक इसके प्रतिनिधि होंगे। इस दल में बाहरी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

तदनुसार कार्यकारी दल का गठन निम्नानुसार किया गया:

श्री दीपक मोहंती — अध्यक्ष
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

डॉ. टी.टी.राममोहन — सदस्य
प्रोफेसर
भारतीय प्रबंध संस्थान
अहमदाबाद

डॉ. जहांगीर अजीज — सदस्य
प्रमुख अर्थशास्त्री (भारत)
जे.पी.मोरगन
मुंबई

श्री पी.विजय भास्कर — सदस्य
मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

डॉ. जनक राज — सदस्य
प्रभारी परामर्शदाता
मौद्रिक नीति विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, केनरा बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और सिटी बैंक के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

डॉ. हिमांशु जोशी — सदस्य-सचिव
निदेशक
मौद्रिक नीति विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी दल किसी भी अन्य सदस्य को विशेष आमंत्रिती के रूप में शामिल कर सकता है और सभी पणधारकों से परामर्श ले सकता है।

कार्यकारी दल को सचिवीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यकारी दल संभवत: अपनी रिपोर्ट अगस्त 2009 के अंत तक प्रस्तुत कर देगा।

कार्यकारी दल बीपीएलआर सहित बैंकों की उधार दरों से संबंधित मामलों पर अभिमत और सुझाव का स्वागत करता है। कृपया अपने अभिमत और सुझाव प्रभारी परामर्शदाता, मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 को भेजें (फैक्स 022-22610430 ; ई-मेल)।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

23 जून 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनके पंजीकृत कार्यालय का पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	निरस्त करने की तारीख
1.	मेसर्स गोयल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	1598-मेन बाजार, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055	01 जून 2009
2.	मेसर्स जे.डी.सी. एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड	59/2 तीसरी मंजिल, फ्लैट नं. 302, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	01 जून 2009
3.	मेसर्स मोटिवेशनल सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	बी ए 1, मंगोल पुरी इंडस्ट्रियल एरिया II, नई दिल्ली-110034	01 जून 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

23 जून 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनके पंजीकृत कार्यालय का पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	निरस्त करने की तारीख
1.	मेसर्स न्यूवेज फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड	36/7 गली क्र. 1, आर्य नगर, कडकड डुमा, दिल्ली-110092	26 मई 2009
2.	मेसर्स जोहर इंटीग्रेटेड फाइनैन्स कंपनी लिमिटेड	ए-36, नरैना इंडस्ट्रियल एरिया फेज II, नई दिल्ली-110028	01 जून 2009
3.	मेसर्स क्लार्क रीयल्टर्स एण्ड फिनान्सियर्स प्राइवेट लिमिटेड	टी-43, डी.सी.एम. स्कूल मार्ग, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005	01 जून 2009
4.	मेसर्स ऐग्जल्ट होल्डिंग्ज प्राइवेट लिमिटेड	20/0, कृष्णा नगर, पो.ऑ. सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029	21 मई 2009
5.	मेसर्स फ्लेअर फाइनैन्स (इंडिया) लिमिटेड	4346/4 सी, अन्सारी रोड,दरिया गंज, नई दिल्ली-110002	22 मई 2009
6.	मेसर्स इंपीरियल फिनान्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	सी-26, तीसरी मंजिल, पंचशील विहार, खिरकी एक्स्टेन्शन, अपीजे स्कूल के पास, नई दिल्ली-110017	21 मई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।